

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

रेफरेंस प्रकरण संख्या 14/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू (राज.)।

— प्रार्थी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र शैतान जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. कपिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
3. कमलेश पुत्री सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
4. कविता पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
5. चतरू पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
6. ताराचन्द पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
7. परमेश्वरी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
8. फुलाराम पुत्र शैतान जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
9. भोपालाराम पुत्र सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
10. ममता पुत्री सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
11. रामनिवास पुत्र शैतान जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
12. विक्रम पुत्र सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
13. विकास पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
14. शंकर पुत्र चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
15. संजू पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
16. सजना पुत्री सुभाषचन्द्र जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।
17. सुमन पुत्री चानणराम जाति मेघवाल निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
व धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:-

1. श्री श्रवण कुमार सैनी- राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 05.08.2019

1. उक्त विषयक तहसीलदार झुंझुनू ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा माखर पटवार हल्का माखर तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 190 के अनुसार ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी औमप्रकाश पुत्र शैतान कपिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र कमलेश पुत्री सुभाषचन्द्र कविता पुत्री चानणराम चतरू पुत्र चानणराम ताराचन्द पुत्र चानणराम परमेश्वरी पत्नी सुभाषचन्द्र फुलाराम पुत्र शैतान, भोपालाराम पुत्र सुभाषचन्द्र ममता पुत्री सुभाषचन्द्र

जिला कलक्टर झुंझुनू

रामनिवास पुत्र शैतान विक्रम पुत्र सुभाषचन्द्र विकास पुत्र चानणराम शंकर पुत्र चानणराम संजु पुत्री चानणराम सजना पुत्री सुभाषचन्द्र सुमन पुत्री चानणराम समस्त जातिगण मेधवाल निवासीगण माखर तहसील व जिला झुंझुनू सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

2. उक्त वर्णित भूमि के गत खसरा न० एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:-

क्र.स.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा न०	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2012	360	274 बीघा 9 बिश्वा	गै.मु.नदी	राजकीय सिवायचक
2.	2025-2028	360	149 बीघा 9 बिश्वा	गै.मु.नदी	नोट आदेश जिलाधीश महोदय, झुंझुनू के क्रमांक 2265-67 दिनांक 10.06.67 भूमि खसरा नम्बर 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गैर मुमकीन नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गैर मुमकीन नदी रहेगा।
3.	2025-2028	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	शैतान पुत्र तिलोका जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
4.	2029-2032	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	शैतान पुत्र तिलोका जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
5.	2033-2036	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	शैतान पुत्र तिलोका जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
6.	2042-2045	360 मीन	5 बीघा	बारानी सोयम	शैतान पुत्र तिलोका जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
7.	2060-2063	357	1.27 है०	बारानी 3	रामनिवास, चानणराम, फुलाराम, सुभाषचन्द्र, औमप्रकाश पिता शैतान ब. हि.ब जाति चमार सा. देह खातेदार
8.	2062-2065	357	1.27 है०	बारानी 3	रामनिवास, चानणराम, फुलाराम, सुभाषचन्द्र, औमप्रकाश पिता शैतान ब. हि.ब जाति चमार सा. देह खातेदार
9.	2064-2067	357	1.27 है०	बारानी 3	रामनिवास, चानणराम, फुलाराम, सुभाषचन्द्र, औमप्रकाश पिता शैतान ब. हि.ब जाति चमार सा. देह खातेदार
10.	2068-2071	357	1.27 है०	बारानी 3	रामनिवास, चानणराम, फुलाराम, औमप्रकाश पिता शैतान हि० 4/5

					परमेश्वरी पत्नी सुभाषचन्द्र, भोपालाराम, कपिल कुमार, विक्रम पिता सुभाषचन्द्र, सजना कमलेश, ममता पुत्रियां सुभाषचन्द्र हि0 1/35 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार
11.	2074-2077	357	1.27	बारानी 3	औमप्रकाश पुत्र शैतान हि. 1/5 कपिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र हि. 1/35 कमलेश पुत्री सुभाषचन्द्र हि. 1/35 कविता पुत्री चानणराम हि. 1/35 चतरु पुत्र चानणराम हि. 1/35 ताराचन्द्र पुत्र चानणराम हि. 1/35 परमेश्वरी पत्नी सुभाषचन्द्र हि. 1/35 फुलाराम पुत्र शैतान हि. 1/5, भोपालाराम पुत्र सुभाषचन्द्र हि. 1/35 ममता पुत्री सुभाषचन्द्र हि. 1/35 रामनिवास पुत्र शैतान हि. 1/5 विक्रम पुत्र सुभाषचन्द्र हि. 1/35 विकास पुत्र चानणराम हि. 1/35 शंकर पुत्र चानणराम हि. 1/35 संजू पुत्री चानणराम हि. 1/35 सजना पुत्री सुभाषचन्द्र हि. 1/35 सुमन पुत्री चानणराम हि. 1/35 समस्त जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।

- उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकीन नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है।
- उक्त भूमि की खातेदारी किसी भी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण या आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है।
- माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है।
- सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है।
- राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदार अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है जो राज्य सरकार की हक तलफी होऽगी अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी।

8. अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.27 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।
9. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध दिनांक 22.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
10. बहस सुनी गई। बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी औमप्रकाश पुत्र शैतान कपिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र कमलेश पुत्री सुभाषचन्द्र कविता पुत्री चानणराम चतरू पुत्र चानणराम ताराचन्द्र पुत्र चानणराम परमेश्वरी पत्नी सुभाषचन्द्र फुलाराम पुत्र शैतान, भोपालाराम पुत्र सुभाषचन्द्र ममता पुत्री सुभाषचन्द्र रामनिवास पुत्र शैतान विक्रम पुत्र सुभाषचन्द्र विकास पुत्र चानणराम शंकर पुत्र चानणराम संजू पुत्री चानणराम सजना पुत्री सुभाषचन्द्र सुमन पुत्री चानणराम समस्त जातिगण मेधववाल निवासीगण माखर तहसील व जिला झुंझुनू सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकीन नदी होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी भी निजी व्यक्ति को दिया जाना या आन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण या आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण गैर खातेदार की गैर खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी आवश्यक हो गई है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की जानी उचित है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां भेजा जावे।
11. हमने बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के अनुसार यह तथ्य निर्विवाद सही है कि विवादग्रस्त ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी राजकीय खाते मे सम्बत् 2012 में किस्म गैर मुमकीन नदी दर्ज रिकार्ड थी। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकिन नदी होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है। पत्रावली के सलंगन दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी पुर्व में गैर मुमकिन नदी की भूमि रही है, वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझते हैं।
12. अतः यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम माखर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 357 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी 3 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश

फरमाये जावें। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह राजकीय अभिभाषक राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से रेफेरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनू को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू